



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179660

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30106 वर्ष 2026

हसन आसिफ

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : रवि साहू

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 41 सन् 2026, धारा 3(5), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 112 बी.एन.एस., थाना-किदवई नगर, जनपद-कानपुर नगर में अवर न्यायालय में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और किसी अन्य दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से कोई सरोकार नहीं है और उसने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



अभियोजन द्वारा आरोपित कोई अपराध नहीं किया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। उसका नाम जांच के दौरान प्रकाश में आया और तथाकथित अंकतालिकाएं अन्य सह-अभियुक्तों के कब्जे से बरामद हुईं, जिनके नाम प्रथम सूचनादाता की रिपोर्ट में थे। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त मोहम्मद अजहरुद्दीन खान उर्फ शेखू, मयंक भारद्वाज तथा आमिर अहमद को इस पीठ द्वारा क्रमशः आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 17397 सन् 2026, 24973 सन् 2026 तथा 26819 सन् 2026 में दिनांक 13.07.2026, 22.07.2026 तथा 03.08.2026 को पारित आदेशों द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक दिनांक 29.06.2026 से जेल में निरुद्ध है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया कि न्यायालय में मामलों की भारी लंबितता के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया।

5. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दंड की गंभीरता तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मत है कि आवेदक विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

6. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक **हसन आसिफ** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र निष्पादित करने तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



(iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा, जिसका उस पर आरोप है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(v) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

8. यह भी निर्देशित किया जाता है कि जमानतदारों की पहचान, स्थिति तथा निवास संबंधी प्रमाण संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उन्हें स्वीकार किए जाने से पूर्व सत्यापित किए जाएं।

9. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

25 अगस्त, 2026

वी.के. उपाध्याय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।